"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 38] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 19 सितम्बर 2025—भाद्र 28, शक 1947

विषय—सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) छत्तीसगढ़ विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुर:स्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) छत्तीसगढ़ अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 26 मार्च 2025

क्रमांक ESTB/696/2025-GAD-2.—राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य संवर्ग को आवंटित भारतीय प्रशासनिक सेवा के निम्नलिखित परिवीक्षाधीन अधिकारियों को लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी में प्रथम दौर के प्रशिक्षण की समाप्ति उपरांत राज्य में प्रशिक्षण के लिये उनके नाम के सम्मुख दर्शाये जिलों में सहायक कलेक्टर के पद पर पदस्थ करता है :—

स. क्र.	अधिकारी का नाम	पदस्थापना स्थल
(1)	(2)	(3)
1.	श्री फडतरे अनिकेत अशोक (2020)	जशपुर

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2025.

(1)	(2)	(3)
2.	श्री अरविंद कुमार टी (2024)	बिलासपुर
3.	श्री अक्षय दोशी (2024)	रायगढ़
4.	श्री क्षितिज गुरभेले (2024)	कोरबा
5.	श्री विपिन दुबे (2024)	बस्तर

2. उपर्युक्त अधिकारी लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी में प्रथम दौर के प्रशिक्षण के बाद कार्यमुक्त होने पर, कार्यभार ग्रहण अवधि का लाभ उठाकर अपनी पदस्थापना के जिले में कार्यभार ग्रहण करेंगे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मुकेश कुमार बंसल, सचिव.

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 25 अगस्त 2025

क्रमांक GENCOR/5192/2025-COMM. & INDUS.—बॉयलर अधिनियम, 2025 की धारा 38(3) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन एतद्द्वारा, मेसर्स-अडानी पॉवर लिमिटेड, ग्राम छोटे भण्डार, तहसील पुसौर, जिला-रायगढ़, छत्तीसगढ़ के बायलर क्रमांक CG-638 को (दिनांक 29-08-2025 से 31-12-2025 तक निम्नलिखित शर्तों पर उक्त अधिनियम की धारा 11 (1) (c) के अंतर्गत छूट प्रदान करता है :—

(1) संदर्भाधीन बॉयलर में दुर्घटना होने या पहुंचने वाली किसी भी हानि की सूचना बॉयलर्स अधिनियम, 2025 की अपेक्षानुसार तत्काल बॉयलर निरीक्षक/मुख्य निरीक्षक, वाष्पयंत्र छ.ग. को दी जावेगी एवं दुर्घटना होने के दिनांक से छूट की मान्यता समाप्त समझी जाएगी.

(2) उक्त अधिनियम की अपेक्षानुसार मुख्य निरीक्षक, वाष्पयंत्र, छत्तीसगढ़ के पूर्वानुमोदन के बिना संदर्भाधीन बॉयलर में किसी प्रकार का संरचनात्मक परिवर्तन अथवा नवीनीकरण नहीं किया जाएगा.

(3) संदर्भाधीन बॉयलर का सरसरी दृष्टि से निरीक्षण किये जाने पर यदि वह खतरनाक स्थिति में पाया गया, तो यह छूट समाप्त हो जाएगी.

(4) नियतकालीन सफाई और नियमित रूप से गैस निकालने (रेगुलर ब्लो-डाउन) का कार्य किया जावेगा और उसका अभिलेख रखा जाएगा.

(5) उक्त अधिनियम एवं इसके नियमों की अपेक्षानुसार संदर्भाधीन बॉयलर के संबंध में वार्षिक निरीक्षण शुल्क देय होने पर अग्रिम दी जाएगी.

(6) यदि राज्य शासन आवश्यक समझे तो इस छूट में संशोधन कर सकता है अथवा इसे वापस ले सकता है.

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 25 अगस्त 2025

क्रमांक GENCOR/7022/2025-COMM. & INDUS.—बॉयलर अधिनियम, 2025 की धारा 38(3) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन एतद्द्वारा, मेसर्स-कोरबा पॉवर लिमिटेड, कोरबा, जिला-कोरबा, छत्तीसगढ़ के बायलर क्रमांक CG-543 को दिनांक 26-08-2025 से 25-02-2026 तक निम्नलिखित शर्तों पर उक्त अधिनियम की धारा 11 (1) (c) के अंतर्गत छूट प्रदान करता है :—

(1) संदर्भाधीन बॉयलर में दुर्घटना होने या पहुंचने वाली किसी भी हानि की सूचना बॉयलर्स अधिनियम, 2025 की अपेक्षानुसार तत्काल बॉयलर निरीक्षक/मुख्य निरीक्षक, वाष्पयंत्र छ.ग. को दी जावेगी एवं दुर्घटना होने के दिनांक से छूट की मान्यता समाप्त समझी जाएगी.

(2) उक्त अधिनियम की अपेक्षानुसार मुख्य निरीक्षक, वाष्पयंत्र, छत्तीसगढ़ के पूर्वानुमोदन के बिना संदर्भाधीन बॉयलर में किसी प्रकार का संरचनात्मक परिवर्तन अथवा नवीनीकरण नहीं किया जाएगा.

(3) संदर्भाधीन बॉयलर का सरसरी दृष्टि से निरीक्षण किये जाने पर यदि वह खतरनाक स्थिति में पाया गया, तो यह छूट समाप्त हो जाएगी.

(4) नियतकालीन सफाई और नियमित रूप से गैस निकालने (रेगुलर ब्लो-डाउन) का कार्य किया जावेगा और उसका अभिलेख रखा जाएगा.

(5) उक्त अधिनियम एवं इसके नियमों की अपेक्षानुसार संदर्भाधीन बॉयलर के संबंध में वार्षिक निरीक्षण शुल्क देय होने पर अग्रिम दी जाएगी.

(6) यदि राज्य शासन आवश्यक समझे तो इस छूट में संशोधन कर सकता है अथवा इसे वापस ले सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
उमेश कुमार पटेल, उप सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

रायगढ़, दिनांक 11 अगस्त 2025

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक/589/202410041800039/अ-82/2024-2025.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (रकबा में)	प्राधिकृत अधिकारी	का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	लैलूंगा	लैलूंगा प.ह.नं. 37	0.017	छत्तीसगढ़ रोड एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, रायपुर छ.ग.	लैलूंगा घरघोड़ा मार्ग अंतर्गत सड़क में प्रभावित भूमि का भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), लैलूंगा जिला रायगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मयंक चतुर्वेदी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य कृषि विपणन (मण्डी) बोर्ड
"सरदार वल्लभ भाई पटेल भवन" सेक्टर-24, कयाबांधा, अटल नगर, नवा रायपुर

नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 11 अगस्त 2025

क्रमांक/बी-4/1/32(2)/भा.अधि./2025-26/3981.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/बी-4/1/32(2)/भा.अधि./2024-25/5407-5408 नवा रायपुर, दिनांक 25-11-2024 द्वारा श्री लोकनाथ भोयर (सहायक संचालक कृषि) प्रभारी उप संचालक कृषि नारायणपुर को कृषि उपज मंडी समिति नारायणपुर, जिला नारायणपुर (छ.ग.) का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया गया है.

कृषि उपज मंडी समिति नारायणपुर, जिला नारायणपुर (छ.ग.) का पत्र क्रमांक/मंडी/स्था./भारसाधक अधिकारी/2025-26/232 नारायणपुर दिनांक 25-07-2025 द्वारा कृषि उपज मंडी समिति नारायणपुर, जिला नारायणपुर (छ.ग.) का भारसाधक अधिकारी श्री लोकनाथ भोयर (सहायक संचलाक कृषि) प्रभारी उप संचालक कृषि नारायणपुर के स्थान पर श्रीमति मोनिका ठाकुर उप संचालक कृषि, नारायणपुर को भारसाधक अधिकारी नियुक्त करने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है.

छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 57 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा श्री लोकनाथ भोयर (सहायक संचालक कृषि) के स्थान पर श्रीमति मोनिका ठाकुर उप संचालक कृषि, नारायणपुर को कृषि उपज मंडी समिति नारायणपुर, जिला नारायणपुर (छ.ग.) का आगामी आदेश तक भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया जाता है.

नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 19 अगस्त 2025

क्रमांक/बी-4/1/32(2)/भा.अधि./2025-26/4200.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/बी-4/1/32(2)/भा.अधि./2023-24/6100-6101 रायपुर, दिनांक 15-12-2023 द्वारा श्री आर. पी. गुप्ता, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी संभागीय कार्यालय बिलासपुर को कृषि उपज मंडी समिति जयरामनगर, जिला-बिलासपुर का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया गया था.

संयुक्त संचालक, छ.ग. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, संभागीय कार्यालय बिलासपुर का पत्र क्रमांक/बोर्ड/नियमन/भार.अधि./2025-26/1942 बिलासपुर, दिनांक 13-08-2025 द्वारा कृषि उपज मंडी समिति जयरामनगर के भारसाधक अधिकारी श्री आर. पी. गुप्ता वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी जयरामनगर के स्वास्थगत कारणों को दृष्टिगत रखते हुए कुमारी शुभांगी गुप्ता, नायब तहसीलदार, मस्तुरी, जिला-बिलासपुर को कृषि उपज मंडी समिति जयरामनगर का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किये जाने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है.

छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 57 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा श्री आर. पी. गुप्ता, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी जयरामनगर के स्थान पर कुमारी शुभांगी गुप्ता, नायब तहसीलदार, मस्तुरी, जिला-बिलासपुर (छ.ग.) को कृषि उपज मंडी समिति जयरामनगर, जिला बिलासपुर (छ.ग.) का आगामी आदेश तक भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया जाता है.

महेन्द्र सिंह सवन्नी,
संचालक.

संचालनालय आदिमजाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान
सेक्टर-24, अटल नगर नवा रायपुर छत्तीसगढ़

नवा रायपुर, दिनांक 8 अगस्त 2025

CERTIFICATE OF TRANSFER OF CHARGE

क्रमांक/टी.आर.आई./स्था./43/2025/3181.—Certified that I have in the forenoon of this day taken over and received. Charge of Office of the Director, Tribal Research and Training Institute. C.G., Nava Raipur Atal Nagar in pursuance of C.G. Government, General Administration Department order No. E1-01/2025/One-2, Date 05-08-2025.

Relieved Officer — Jagdish Sonkar
Joining Officer — Hina Animesh Netam

हिना अनिमेष नेताम
संचालक

कार्यालय कलेक्टर, (भू-अभिलेख शाखा) बस्तर जिला, जगदलपुर

जगदलपुर, दिनांक 4 सितम्बर 2025

क्रमांक/GENS-11/2628/2025-COLL BST LR GEN SEC/भू.अ./स.अ.भू.अ./2025.—छ.ग. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 67 "प्रतिस्थापित भू-सर्वेक्षण" की अधिसूचना की उप धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मैं एतद्द्वारा निम्न अनुसूची में प्रदर्शित नगर पालिक निगम जगदलपुर क्षेत्र में नक्शा प्रोजेक्ट के तहत शहरी क्षेत्र का अधिकार अभिलेख तैयार करने के लिए सर्वेक्षण संबंधी कार्य के प्रारंभ होने की घोषणा करता हूँ यह क्षेत्र जारी अधिसूचना की तारीख से लेकर जब तक ऐसे सर्वेक्षण के अधीन समझा जायेगा, जब तक की ऐसी संक्रियाओं के बंद किये जाने की घोषणा करने वाली अधिसूचना जारी न कर दी जावे :—

अनुसूची

क्र.	जिले का नाम	तहसील	न.पा.नि. क्षेत्र	प.ह.नं.	न.पा.नि. जगदलपुर में सम्मिलित ग्रामों की संख्या	राजस्व सर्वेक्षण हेतु कुल रकबा (वर्ग कि.मी. में)	नगर पालिका निगम जगदलपुर क्षेत्र की चतुर सीमा	बाह्य सीमा का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	बस्तर	जगदलपुर	जगदलपुर	04 07 05 06 14 09 09 13	आसना कोहकापाल जगदलपुर धरमपुरा अघनपुर सरगीपाल फ्रेजरपुर करकापाल	50.49 वर्ग कि.मी.	**उत्तर-** आसना कोहकापाल जगदलपुर धरमपुरा **दक्षिण**-अघनपुर सरगीपाल फ्रेजरपुर करकापाल **पूर्व-** करकापाल हाटकचोरा पखनागुड़ा आसना **पश्चिम**-कंगोली अघनपुर	नगर पालिक निगम जगदलपुर के चतुर सीमा का बाह्य क्षेत्र स्थित

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				12	हाटकचोरा			
				08	पखनागुड़ा			
				03	कंगोली			

No./GENS-11/2628/2025-COLL BST LR GEN SEC/Land-Survey/2025.—Under the Powers conferred by sub-section (1) of Section of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959, regarding "Re-survey Notification", I hereby declare the commencement of survey-related work for preparation of property records under the NAKSHA Project in the urban area falling under the limits of Municipal Corporation Jagdalpur, as specified in the schedule below. This area shall be considered under such survey from the date of issue of this notification until a notification announcing the completion of such operations is issued :—

SCHEDULE

S. No.	Distrcit Name	Teshil	Municipal Corporation on Area	P.H. No.	Names of villages included in Jagdalpur Municipal Corporation	Total Area (in sq. Km.)	Detail of External Boundaries of Municipal corporation Jagdalpur	Details of Quadrilateral Boundary
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Bastar	Jagdalpur	Jagdalpur	04	Asana	50.49 Sq Km.	**North-** Asana	Jagdalpur Municipal Corporation Area Quadrilateral Boundary
				07	Kohakapal		Kohakapal	
				05	Jagdalpur		Jagdalpur	
				06	Dharampura		Dharampura	
				14	Aghanpur		**South-** Aghanpur	
				09	Sargipal		Sargipal	
				09	Frazerpur		Frazerpur	
				13	Karkapal		Karkapal	
				12	Hatkachora		**East-** Karkapal	
				08	Pakhanaguda		Halkachora	
				03	Kangoli		Pakhanaguda	
							Asana	
							West- Kangoli	
							Aghanpur	

हरिस एस.
सर्वेक्षण अधिकारी.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर

बिलासपुर, दिनांक 1 अगस्त 2025

क्रमांक 14920/चेकर/तीन-10-8/2000 (IX).—छत्तीसगढ़ सिविल न्यायालय अधिनियम, 1958 (क्रमांक 19 सन् 1958), की धारा 12 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस संबंध में जारी की गई पूर्व की अधिसूचना क्रमांक-2514/चेकर/तीन-10-8/2000 (IX), दिनांक 05-02-2025 को अतिष्ठित करते हुए, उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ एतद्द्वारा निर्देश देता है कि छत्तीसगढ़ में प्रत्येक सिविल जिला के लिये, विधि और विधायी कार्य विभाग, रायपुर की अधिसूचना क्रमांक 3080/2334/21-ब/2025, दिनांक 31 जुलाई, 2025 द्वारा स्थापित जिला न्यायाधीश, सिविल न्यायाधीश, वरिष्ठ श्रेणी तथा सिविल न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी के न्यायालय दिनांक 11-08-2025 से नीचे दी गई सारणी में प्रत्येक सिविल जिले के सामने विनिर्दिष्ट स्थानों पर बैठेंगे :—

सारणी

क्र.	सिविल जिले के नाम	जिला न्यायाधीश के न्यायालय		सिविल न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी के न्यायालय		सिविल न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी के न्यायालय	
		बैठने का स्थान	न्यायालयों की संख्या	बैठने का स्थान	न्यायालयों की संख्या	बैठने का स्थान	न्यायालयों की संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	बालोद	1. बालोद	2	1. बालोद	3	1. बालोद	2
				2. गुण्डरदेही	1	2. दल्लीराजहरा	1
						3. डौण्डीलोहारा	1
2.	बलौदाबाजार-भाटापारा	1. बलौदाबाजार	5	1. बलौदाबाजार	2	1. बलौदाबाजार	2
		2. भाटापारा	1	2. भाटापारा	1	2. सिमगा	1
				3. कसडोल	1		
3.	बलरामपुर - रामानुजगंज.	1. रामानुजगंज	2	1. रामानुजगंज	*2	1. बलरामपुर	1
						2. वाड्रफनगर	1
						3. राजपुर	1
4.	बस्तर (जगदलपुर)	1. जगदलपुर	3	1. जगदलपुर	3	1. जगदलपुर	8
5.	बेमेतरा	1. बेमेतरा	2	1. बेमेतरा	3	1. बेमेतरा	2
						2. साजा	1
6.	बिलासपुर	1. बिलासपुर	13	1. बिलासपुर	5	1. बिलासपुर	10
		2. पेण्ड्रारोड	2	2. पेण्ड्रारोड	2	2. पेण्ड्रारोड	1
				3. बिल्हा	1	3. कोटा	2
				4. तखतपुर	1	4. मरवाही	1
						5. तखतपुर	1
7.	दक्षिण बस्तर (दंतेवाड़ा)	1. दंतेवाड़ा	5	1. दंतेवाड़ा	1	1. दंतेवाड़ा	2
				2. सुकमा	2	2. बीजापुर	1
				3. बीजापुर	1	3. बचेली	1
						4. कोंटा	1

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
8.	धमतरी	1. धमतरी	1	1. धमतरी	2	1. धमतरी	3
				2. कुरूद	1	2. नगरी	1
						3. कुरूद	1
9.	दुर्ग	1. दुर्ग	15	1. दुर्ग	5	1. दुर्ग	18
		2 पाटन	1	2. पाटन	1	2. भिलाई-3	2
				3. भिलाई-3	1	3. धमधा	1
10.	जांजगीर-चांपा	1. जांजगीर	5	1. जांजगीर	2	1. जांजगीर	4
		2. सक्ती	2	2. सक्ती	2	2. सक्ती	1
				3. चांपा	1	3. डभरा	2
				4. अकलतरा	1	4. पामगढ़	1
						5. जैजेपुर	1
						6. नवागढ़	1
						7. मालखरौदा	1
						8. चांपा	1
11.	जशपुर	1. जशपुर	1	1. जशपुर	2	1. जशपुर	1
		2. कुनकुरी	2	2. कुनकुरी	1	2. पत्थलगांव	1
		3. पत्थलगांव	1			3. बगीचा	1
						4. कुनकुरी	1
12.	कबीरधाम (कवर्धा)	1. कवर्धा	1	1. कवर्धा	4	1. कवर्धा	2
						2. पंडरिया	1
13.	कोण्डागांव	1. कोण्डागांव	1	1. कोण्डागांव	2	1. नारायणपुर	1
		2. नारायणपुर	1	2. नारायणपुर	1	2. केशकाल	1
14.	कोरबा	1. कोरबा	3	1. कोरबा	3	1. कोरबा	3
		2. कटघोरा	3	2. कटघोरा	2	2. कटघोरा	2
						3. पाली	1
						4. करतला	1
15.	कोरिया (बैकुण्ठपुर)	1. बैकुण्ठपुर	1	1. बैकुण्ठपुर	2	1. बैकुण्ठपुर	2
		2. मनेन्द्रगढ़	2	2. मनेन्द्रगढ़	2	2. मनेन्द्रगढ़	1
		3. चिरमिरी	1	3. चिरमिरी	1	3. जनकपुर	1
16.	महासमुंद	1. महासमुंद	3	1. महासमुंद	3	1. महासमुंद	4
		2. सराईपाली	2	2. सराईपाली	1	2. पिथौरा	1
						3. बसना	1
						4. बागबाहरा	1
17.	मुंगेली	1. मुंगेली	2	1. मुंगेली	3	1. मुंगेली	1
						2. लोरमी	1

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
18.	रायगढ़	1. रायगढ़	9	1. रायगढ़	2	1. रायगढ़	6

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
11.	Jashpur	1. Jashpur	1	1. Jashpur	2	1. Jashpur	1
		2. Kunkuri	2	2. Kunkuri	1	2. Patthalgaon	1
		3. Patthalgaon	1			3. Bagicha	1
						4. Kunkuri	1
12.	Kabirdham	1. Kawardha	1	1. Kawardha	4	1. Kawardha	2
	(Kawardha)					2. Pandariya	1
13.	Kondagaon	1. Kondagaon	1	1 Kondagaon	2	1. Narayanpur	1
		2. Narayanpur	1	2 Narayanpur	1	2. Keshkal	1
14.	Korba	1. Korba	3	1. Korba	3	1. Korba	3
		2. Katghora	3	2. Katghora	2	2. Katghora	2
						3. Pali	1
						4. Kartala	1
15.	Koriya	1. Baikunthpur	1	1. Baikunthpur	2	1. Baikunthpur	2
	(Baikunthpur)	2. Manendragarh	2	2. Manendragarh	2	2. Manendragarh	1
		3. Chirmiri	1	3. Chirmiri	1	3. Janakpur	1
16.	Mahasamund	1. Mahasamund	3	1. Mahasamund	3	1. Mahasamund	4
		2. Saraipali	2	2. Saraipali	1	2. Pithoura	1
						3. Basna	1
						4. Bagbahara	1
17.	Mungeli	1. Mungeli	2	1. Mungeli	3	1. Mungeli	1
						2. Lormi	1
18.	Raigarh	1. Raigarh	9	1. Raigarh	2	1. Raigarh	6
		2. Sarangarh	1	2. Gharghora	1	2. Dharamjaigarh	1
		3. Gharghora	1	3. Sarangarh	2	3. Kharsiya	2
				4. Kharsiya	1	4. Bilaigarh	1
						5. Bhatgaon	1
						6. Gharghora	1
						7. Sarangarh	1
19.	Raipur	1. Raipur	18	1. Raipur	8	1. Raipur	22
		2. Gariaband	1	2. Gariaband	2	2. Gariaband	1
						3. Rajim	1
						4. Tilda	1
						5. Devbhog	1
						6. Arang	1
20.	Rajnandgaon	1. Rajnandgaon	3	1. Rajnandgaon	2	1. Rajnandgaon	3
		2. Khairagarh	1	2. Ambagarh-Chouki.	2	2. Dongargarh	1
		3. Dongargarh	1			3. Khairagarh	1
				3. Dongargarh	1	4. Chhuikhadan	1
				4. Khairagarh	2		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
21.	Surajpur	1. Surajpur	5	1. Surajpur	4	1. Surajpur	4
		2. Pratappur	1	2. Pratappur	1		
22.	Sarguja (Ambikapur)	1. Ambikapur	7	1. Ambikapur	3	1. Ambikapur	5
						2. Sitapur	2
23.	Uttar Bastar (Kanker)	1. Kanker	1	1. Kanker	3	1. Kanker	1
		2. Bhanupratappur	2	2. Bhanupratappur	1	2. Pakhanjur	1
		3. Pakhanjur	1				
		Total	**135**		**107**		**167**

Note :— *2 Courts of Civil Judge, Senior Division - (Ramanujganj -1 + Balrampur-1)

By order of the High Court,
MANEESH KUMAR THAKUR, Registrar General.